क्रमांक/अभिलेखागार 1642 ... कलक्टर (अभिलेखागार) कोटा (राज.) ... की प्रपत्र (संख्या 26)

दिनांक 19/...

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

मिसल नम्बर – 2024/345

1. श्रीमती राज बाई पुत्री स्व0 मोतीलाल पत्नि मोहनलाल आयु 60 वर्ष जाति बैरवा निवासी हाल खारी बावड़ी, गांधी कोलोनी के पास तहसील लाडपुरा कोटा
2. भैरूलाल पुत्र श्री मोती लाल आयु 55 वर्ष जाति बैरवा निवासी पुरोहित जी की टापरी, कोटा जंक्शन, कोटा

–वादीगण

बनाम

1. नगर विकास न्यसास, कोटा जरिये सचिव
2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय लाडपुरा जिला कोटा
3. वन विभाग जरिये वृत्त अधिकारी, राजभवन रोड, कोटा

– प्रतिपक्षी

वाद वास्ते घोषण एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 88, व 188 टीनेन्सी एक्ट

–: निर्णय :–

दिनांक – 23/06/2025

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई प्रकरण निम्न प्रकार हैः–

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 टीनेन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है किः–

वादीगण की एक पैतृक आराजी भूमि ग्राम बोरखेडा जिला कोटा मे स्थित है जो वादीगण के दादाजी उद्दा एवं कान्हा जी के बाद पिता स्व0 मोती के कब्जे काश्त मे रही है, जिसकी जमाबंदी संवत 2017–2024 के अनुसार खसरा संख्यान निम्न प्रकार हैः– 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 कुल खसरा 7 है।

वादीगण के पिता मोतीलाल का इन्तेकाल वादीगण के बाल्यकाल में ही हो गया था एवं उपरोक्त कृषि भूमि को वादीगण बालक होने से काश्त नहीं कर पाये। व कुछ समय पडत रही इसका अनुचित फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण ने वादीगण की उपरोक्त भूमि पर अतिक्रमण कर लिया व राजस्व रिकार्ड में अनुचित तरीके से बदलाव करवा लिये, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नही है।

उक्त भूमि वर्तमान में आबादी क्षेत्र में स्थित है। आस–पास प्लानिंग का क्षेत्र विकसित हो गया है जिसके चलते प्रतिवादी कम–1 द्वारा बिना कोई विधिक नोटिस व मुआवजा दिये उपरोक्त भूमि के काफी हिस्से पर अपने नाम वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज करा लिया है व शेष हिस्से को प्रतिवादी क्रम–1 ने अन्तरित कर अन्य व्यक्तियों को पट्टे जारी कर दिये है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की उक्त भूमि के अवाप्ति के सम्बन्ध में वादीगण को कभी सूचित नही किया गया है। वादीगण प्रतिवादीगण क्रम 1, 2 व 3 से भूमि के बदले भूमि या मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी और अन्य प्रतिवादीगण बेदखल करने के अधिकारी है।

वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को कई बार अपनी भूमि खाली करने हेतु या उसके बदले उचित मुआवजा/मूल्य देने हेतु कहा गया लेकिन प्रतिवादीगण ने इनकार कर दिया। जब भी वादीगण अपनी भूमि पर प्रतिवादीगण को भूमि छोडने हेतु कहने गये तो प्रतिवादीगण के कर्मचारियों ने व प्रतिवादीगण से भूखण्ड प्राप्तकर्ताओं ने वादीगण के साथ लडाई झगडा किया और जान से मारने की धमकियां दी। वादीगण द्वारा प्रतिवादी क्रम–1 से 3 को भी भूमि छोडने या समुचित मुआवजा दिये जाने हेतु कहा गया लेकिन इन्होने अनसुना कर दिया।

वादकारण वादीगण द्वारा दिनांक 10.4.2017 को प्रतिवादीगण से अपनी भूमि का मुआवजा देने या भूमि वापस करने के कहने पर प्रतिवादीगण के इनकार करने से उत्पन्न हुआ है।

अतः प्रार्थना की है कि वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री प्रदान की जावे कि –

(अ)–कृषि आराजी खसरा नम्बर 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219 कुल खसरा 7 के काश्त योग्य खाली पडे हिस्से का वादीगण को काश्तकार घोषित किया जावे एवं शेष निर्माण कर चुके हिस्से का उचित प्रतिफल/मुआवजा दिलाया जावे।

(ब) इस आशय की निषेधाज्ञा जारी की जावे की प्रतिवादीगण वादी को अपने काश्तकारी अधिकारो से वंचित नही करे और वादी की काश्त में अनावश्यक हस्ताक्षेप नहीं करें। उक्त कृत्य न तो प्रतिवादीगण स्वंय करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से करावें।

(स)– वादी को अपने हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करे।

(द)– कि वादीगण का समस्त वाद व्यय प्रतिवादीगण से दिलाया जावे

(य)– यह कि अन्य जो भी न्यायोचित सहायता हो वह भी प्रदान की जावे।

प्रतिवादीगण को तलब किया गया पर्याप्त मौके दिये जाने के बावजुद प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे । प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल लाई गयी।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

हस्तगत वाद मे प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने के कारण तनकी निर्धारित नही की गई तथा सीधे बहस सुनी गई।

वादीगण द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि:–

वादीगण के खाते व कब्जा काश्त की कृषि आराजी खसरा नं. 213 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नं. 214 रकबा 16 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं. 215 रकबा 7 बिस्वा, 216 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 217 रकबा 4 बिस्वा, खसरा नं. 218 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नं. 219 रकबा बाचा 8 बिस्वा वाके ग्राम बोरखेड़ा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा राजस्थान में स्थित है उक्त भूमि वादीगण के पिता मोतीलाल जी के नाम थी जिनकी मृत्यु वादीगण के बाल्यकाल में हो गई थी इस कारण वादीगण अपनी कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों के लिये मुनाफा व पांती काश्त पर देते रहे प्रतिवादीगण ने वादीगण के अनपढ़ व अज्ञानता का फायदा उठाते हुये पीछे से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर राजस्व रिकॉर्ड में अनुचित तरीके से बदलाव कर अपना नाम रिकॉर्ड दर्ज करवा लिया। वादीगण की उक्त कृषि आराजी के आस–पास धीरे–धीरे आबादी क्षेत्र विकसित हो गया एवं भूमि आबादी क्षेत्र में आ गई जिसके चलते हुये प्रतिवादी क्रम 1 ने वादीगण के बिना कोई सूचना या नोटिस दिये उक्त कृषि भूमि के कुछ हिस्से के भू–भाग को अपने नाम करवाकर राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया तथा अपने आपको लाभान्वित करने के आशय से मोटी रकम हड़प कर उसके गलत रूप से पट्टे जारी कर दिये जबकि प्रतिवादीगण को ऐसा कृत्य करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

वादीगण को जब अपनी भूमि प्रतिवादी क्रम 1 द्वारा अवाप्त कर पट्टे जारी करने की सूचना प्राप्त हुई तो वादीगण ने उनसे कहासुनी की गई एवं कहा कि आपने हमारी जमीन को बिना सूचना दिये अपने नाम करवा कर उसके पट्टे जारी क्यों कर दिये तो उन्होंने वादीगण की बातों को अनसुना कर दिया एवं उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया वादीगण ने उनसे अवाप्त की गई भूमि का मुआवजा राशि देने का भी निवेदन किया लेकिन उन्होंने कोई राशि देने से इन्कार कर दिया।

वादीगण द्वारा अपनी भूमि छोड़ने के लिये प्रतिवादीगण से कहासुनी की गई तो प्रतिवादी क्रम 1 के कर्मचारियों ने व भूखण्ड प्राप्त कर्ताओं ने वादीगण के साथ लड़ाई झगड़ा किया एवं जान से मारने की धमकियां दी गई जबकि उन्हें ऐसा कृत्य करने का कोई अधिकार नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

वादी के वादपत्र पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किये जाने पर भी प्रतिवादीगण माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होने पर माननीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध दिनांक–05.03.2025 एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र पीडब्ल्यू 1 व पीडब्ल्यू 2 पेश किये गये उक्त शपथ पत्र की प्रमाणिकता के लिये वादीगण के द्वारा अपने वाद पत्र के साथ प्रदर्श 1 नकल खाता मौजा बोरखेड़ा निजामत लाड़पुरा, प्रदर्श 2 भू प्रबंधक सेण्टलमेन्ट विभाग, प्रदर्श 3 मृत्यु प्रमाण पत्र स्वर्गीय मोतीलाल जी, प्रदर्श 4 राशन कार्ड, प्रदर्श 5 वादी क्रम 1 का आधार कार्ड, प्रदर्श 6 वादी क्रम 2 का आधार कार्ड इत्यादि दस्तावेजों द्वारा वादीगण का वाद पूर्णतः प्रमाणित होना पाया जाता है।

अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की एक पैतृक कृषि आराजी बोरखेड़ा जिला कोटा में स्थित है खाली पड़ी जगह का उन्हें पुनः खातेदार घोषित किया जावें तथा प्रतिवादी क्रम 1 का नाम खाते से हटाया जावें साथ ही शेष निर्माण कर चुके हिस्से का उचित मुआवजा राशि दिलवाई जावें।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का गहनता पूर्वक अध्ययन किया। तथा विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का भी गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

वादीगण का कथन है कि उनके पिता स्व0 मोती लाल के खाते की आराजी ग्राम बोरखेडा मे स्थित थी इस तथ्य को प्रमाणित करने हेतु वादीगण द्वारा जमाबंदी संवत् 2017–2024 प्रस्तुत की गई है।

वादीगण द्वारा कथन किया गया है कि उक्त आराजी के पड़त रहने का अनुचित फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत आराजी को अतिक्रमण कर लिया गया है तथा राजस्व रिकोर्ड मे अनुचित तरिके से बदलाव कर लिया गया है।

पत्रावली के अवलोकन प्रमाणित होता है कि वादीगण द्वारा जमाबंदी संवत 2017–24 के अतिरिक्त अन्य कोई भी राजस्व रिकोर्ड प्रस्तुत नही किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रमाणित नही होता कि हस्तगत आराजी वर्तमान मे किसके खाते दर्ज है। तथा संवत् 2017–2024 के उपरांत राजस्व रिकोर्ड मे क्या परिवर्तन हुये है। तथा उक्त परिवर्तनों का आधार क्या है।

हमारे विनम्र मत मे प्रत्येक प्रकरण मे यह वादी की जिम्मेदारी है कि वह अपना पक्ष प्रमाणित करे लेकिन हस्तगत प्रकरण मे वादीगण द्वारा ऐसा कोई भी साक्ष्य या सहादत प्रस्तुत नही की गई है जो वादीगण की प्रार्थना को प्रमाणित करती हो। केवल 2017–24

उपखण्ड अधिकारी
को .

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail✉ sdokot-kot-rj@nic.in☎ 0744.232587

की जमाबंदी मे अपने दादा का नाम अंकित होने के आधार पर वादीगण द्वारा बिना पूर्ण दस्तावेज संलग्न किये यह वाद प्रस्तुत किया गया है। जो खारिज किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 92 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

23/06/2025

उपखण्ड अधिकारी
SDM- KOTA
कोटा